बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
Email:-cewrdoffice@gmail.com

अल्पकालीन आमंत्रण सूचना संख्या (EOI)–01 / 2026–27

पत्रांकः–01 / कार्य 30–43 / 2024–1226 / मोतिहारी दिनांक 04 / 04 / 2026

परिक्षेत्र के विभिन्न प्रमंडल यथा तिरहुत नहर प्रमंडल–01, बेतिया / 02, बेतिया / चकिया / मोतिहारी / ढ़ाका / मुजफ्फरपुर / सरैया / हाजीपुर / रतवारा / त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज / रक्सौल / घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल / दोन नहर प्रमंडल, रामनगर अन्तर्गत नहर सम्पोषण कार्य हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–253 दिनांक–15.03.2024 के द्वारा निर्गत नहर संचालन तथा रख–रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभरहेड रहित) पर निर्माण सामग्रियों / श्रमिकों / मशीनरी इत्यादि के आपूर्ति / सेवा हेतु संवेदकों / आपूर्तिकर्त्ता / सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों पर इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रण किया जाता हैः–

1. संवेदकों / आपूर्तिकर्त्ता / सेवा प्रदाताओं का जल संसाधन विभाग में तृतीय श्रेणी या संबंधित जिला में चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा।
2. निर्माण सामग्रियों / श्रमिकों / मशीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार / विभागीय नियम / दिशा–निर्देश लागू होंगे।
3. सभी प्रकार के लेबर सेस / टैक्स / रॉयल्टी आदि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
4. निविदादाताओं को निम्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से सम्बोधित आवेदन पत्र के साथ बंद लिफाफा में जमा करना होगा :–

   (i). वैध निबंधन पत्र।
   (ii). पैन कार्ड की प्रति।
   (iii). जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
   (iv). वैध आचरण प्रमाण–पत्र।
   (v). आधार कार्ड की छाया प्रति।
   (vi). पूर्ण स्थाई एवं अस्थाई पता।
   (vii). मोबाईल नं0 / Whatsapp mobile No.
   (viii). ई–मेल आई0डी0।

5. निविदादाताओं को निम्न रुप से अंकित बिन्दुओं के साथ शपथ–पत्र मूल में जमा करना होगा :–
   i. "I the undersigned do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as blacklisting"
   ii. कार्य मिलने पर मैं गुणवत्ता एवं विशिष्टी के साथ अनुसूचित दर पर सम्पादित करने को तैयार हूँ। गुणवत्ता एवं विशिष्टी के अनुरुप कार्य नहीं पाए जाने पर विभाग कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।
6. तकनीकी रुप से योग्य पाये जाने वाले इच्छुक संवेदकों / आपूर्तिकर्त्ता / सेवा प्रदाताओं को सूचीकृत (Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्ति / सेवा लिया जाएगा। आवेदन पत्र में कार्य कराने से संबंधित इच्छुक प्रमंडल का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

7. परिक्षेत्र के अंतर्गत नामित प्रमंडल द्वारा आकस्मिकता के आधार पर मांगे गए सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्ति उसी दिन तत्क्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

8. श्रमिकों की आपूर्ति के संबंध में श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दिशा निदेश/अधिसूचना का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। श्रमिकों का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दर के आधार पर किया जायेगा।

9. मात्र सूचीबद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा।

10. आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विशेष के लिए मात्र मोबाईल फोन पर उपलब्ध Panelled संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ता से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।

11. गरमा/खरीफ सिंचाई/रब्बी सिंचाई अवधि में कार्य कराने के संबंध में विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निदेश का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कराये जाने वाले कार्य का भुगतान, आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

13. कार्य मद का दर राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभरहेड रहित) मान्य होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) से संबंधित उक्त वांछित अभिलेख दिनांक–20.04.2026 के अपराहन् 03:00 बजे तक कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, मोतिहारी के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा एवं उसी दिन 3:30 बजे अपराहन् में उपस्थित संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्य अभियंता कार्यालय में खोला जाएगा।

14. मुख्य अभियंता को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सर्म्पक किया जा सकता है।

04/04/26

(दीपक कुमार)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

04/04/2026

पत्रांकः–01/कार्य 30–43/2024–1226/ मोतिहारी दिनांक 04/04/2026

प्रतिलिपिः–परिक्षेत्र अंतर्गत सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को अपने सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने तथा स्थानीय स्तर पर प्रचार एवं प्रसार करने हेतु प्रेषित/सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाता है।

04/04/26

(दीपक कुमार)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

04/04/2026